APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** कोटा

अब्दुल मतिन **बनाम** अब्दुल रहीम

किस्म मुकदमा 88, 188 **नं.** 57 **सन्** 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/9/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड पर लिये दस्तावेज मौके फोटोग्राफ्स वास्ते पेश हुई। प्रतिवादी नासिर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद वास्ते प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत है। वादी के बयानों की जिरह में यह तथ्य आया है कि हमने कब्जे, खाते की सब जगह शांतिफॉर्म को मैरिज गार्डन बनाने हेतु मैसर्स न्यूटी लाईट फूड्स प्राईवेट लि0 निदेशक आलोक पाराशर एवं पृथ्वीराज पुत्र किशनसिंह जी निवासी कुन्हाड़ी कोटा को बेचान कर दिया है जिन्होने पर मौके पर मैरिज गार्डन बना लिया है की पुष्टि हेतु मौके फोटोग्राफ्स प्रतिवादी अपनी साक्ष्य में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना चाहते है जो वादी द्वारा एडमीटेड है। जिनको न्यायहित में पत्रावली की रिकॉर्ड पर लिया जाना पक्षकारों के मध्य विवाद के हल के लिये अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त फोटोग्राफ्स को न्यायहित में पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करे। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत खसरा नं0 27 एवं खसरा नं0 473/28 जिसका वर्तमान खातेदार जमाबंदी में अंकित खातेदार आलोक पाराशर है जिस खातेदारी की जमीन से उक्त विचारणीय वाद का कोई संबंध नही है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में शादी के लिए गार्डन बना दिये है तथा उक्त जमीन से वादी का कोई लेना देना नही है। वाद में वर्णित विवादित कृषि भूमि का खसरा नं0 28/364 का रकबा 10 बिस्वा है जिसको की पूर्व में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की त्रुटि के चलते प्रतिवादी के गलती से दर्ज की गई थी जिसका वी का आज भी निरन्तर निर्विघ्न रूप से कब्जा चला आ रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने एवं उभयपक्षकारा को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्राप्त हुई है। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से कथन किया गया है कि उक्त फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड पर लिये दस्तावेज मौके फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड पर लिये जाते है। परन्तु प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नही होता है कि वाद वर्णित आराजी की मौका स्थिति किस प्रकार है। अतः हम प्रकरण में विवादित खसरा नं0 अनुसार मौका स्थिति की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक समझते है। इस बाबत तहसीलदार लाडपुरा को पत्र जारी हो। पत्रावली तथ्यात्मक रिपोर्ट वास्ते दिनांक 8/10/25 को पेश हो।	